

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट-III

जयपुर, दिनांक :- 12 APR 2018

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त


विषय :- कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु वास्तुविदों का एम्पैनलमेन्ट किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ :- विभागीय आदेश दिनांक 22.02.2017, 10.04.2017, 20.04.2017, 09.07.2017, 11.08.2017, 23.08.2017 एवं 29.11.2017

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित विभागीय आदेश दिनांक 22.02.2017, 10.04.2017, 20.04.2017, 09.07.2017, 11.08.2017, 23.08.2017 एवं 29.11.2017 की निरन्तरता में भवन विनियमों के तहत कम्पलीशन तथा ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट जारी करने के लिये संलग्न सूची के अनुसार वास्तुविद को अधिकृत किया जाता है। इनके द्वारा भवन निर्माता को जारी किये जाने वाले कम्पलीशन व ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. संलग्न सूची के अनुसार एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

S.No.	Name of Architect	Associate Firm	COA Number
1	Shri Neeraj Kumar Singh	33-A, Vashisth Marg, Nemi Sagar Colony, Vaishali Nagai, Jaipur- 302021 Mob. No. - 9785033555 Email ID - buildform306@gmail.com	CA/2003/32113


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम